प्रपत्र–V

इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है।

18	राज्य सरकार की सिफारिश (उपर्युक्त भाग "ख" या भाग "ग" या भाग "घ" में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाऐं)	18	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) की अनुशंसा के आधार पर वन मंडल उत्तर बैतूल में प्रस्तावित रकबा 25.866 हे0 राजस्व वनभूमि में भूमिगत कोयला उत्खनन कार्य (तवा–3) के उपयोग हेतु मेसर्स वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, पाथाखेड़ा जिला–बैतूल को निम्नलिखित शर्त पर वनभूमि उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है:– • वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार से एक अन्य प्रकरण (शोभापुर खदान रकबा 90.00 हे.) सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त प्रकरण में वैकल्पिक एवं दाण्डिक वृक्षारोपण की मांग अनुसार कुल राशि रु. 25.54 करोड़ की राशि आवेदक संस्थान पर लंबित है। आवेदक संस्थान ने वैकल्पिक एवं दाण्डिक वृक्षारोपण राशि में छूट के लिये भारत सरकार नई दिल्ली को लेख किया था। भारत सरकार, नई दिल्ली ने इस पर वन विभाग का अभिमत चाहा गया था। राज्य शासन स्तर से अनुमोदन लने के बाद भारत सरकार नई दिल्ली को इस राशि में छूट नहीं दिये जाने का अभिमत भारत सरकार को प्रेषित किया जा चुका है। इस विषय में यदि भारत सरकार मेसर्स वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. का अभ्यावेदन अमान्य करती है तो इस राशि को प्रथम जमा करने की शर्त पर ही यह प्रस्ताव स्वीकार किया जावे।

दिनांक: 06/1/18
स्थान: भोपाल

(कैप्टन अनिल कुमार खरे)
सचिव
म.प्र. शासन, वन विभाग

(कैप्टन अनिल कुमार खरे)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जावेगा)